

प्रायोगिक एवं अधिकारी  
आदि के हस्ताक्षर

न्यायालय श्रीमान् मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा  
(म०प्र०)

(19)



- 20 ) -

Rs. 10/-

मुकीन्द्र प्रसाद द्विवेदी तनय कौशल प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम

कपुरी पवाई तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म०प्र०)

रु ५३७४-II/16

-----आवेदक

बनाम्

सीवा प्रसाद तनय यदुनाथ प्रसाद निवासी ग्राम कपुरी पवाई

तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी (म०प्र०) -----अनावेदक

सीधीवक्ता की अपील  
यदुवेदी बाटा प्रहृत  
२०.८.१६

निगरानी बिल्ड्स आज्ञा श्री राजस्व

निरीक्षक मण्डल बघवार तहसील रामपुर

नैकिन जिला सीधी (म०प्र०) बाबत्

प्रकरण क्रमांक - (सीमांकन)

20ए/12/15-16 आदेश दिनांक

20/7/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश

भू०-राजस्व संहिता सन् 1959ई०।

मान्यवर,

अन्य के अतिरिक्त निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक का सीमांकन की आदेश एवं कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के बिल्ड्स है।

(19)  
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....R.S.3251.) II. 2016.....जिला.....सीधी

मुनीन्द्र उसाद इक्वटी विरुद्ध .....सीतापुराय

1	2	3
15-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्रीडीमन्ना.भ.अंतुर्यामी अधिवक्ता द्वारा      यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्तस्थात्तुहसील.राजस्व.मैन्स.के      प्रकरण क्रमांक 20.1.4.12.15-16.....में पारित      आदेश दिनांक 20.07.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी      है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये      संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50      सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण      कलेक्टर.....सीधी.....के न्यायालय को अंतरित किया      जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15-03-19.....को      कलेक्टर.....सीधी.....के न्यायालय में सुनवाई हेतु      उपस्थित हो।</p> <p>m</p>	

✓  
सदस्य